420

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एव पंचायतीराज विभाग
सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी (SSAAT)

(E mail : DIR.SOCIALAUDIT@RAJASTHAN.GOV.IN,) Phone 0141-2227725

शासी निकाय (Governing Body) की द्वितीय बैठक का कार्यवाही विवरण

श्रीमान मुख्य सचिव एवं अध्यक्ष, शासी निकाय (Governing Body) सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी (SSAAT) की अध्यक्षता में दिनांक 29.12.2020 को शासी निकाय (Governing Body) की द्वितीय बैठक (विडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से) आयोजित की गई। बैठक में निम्न पदाधिकारीगण उपस्थित हुए :–

1. श्री रोहित कुमार सिंह, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रा.वि. एवं पं.रा.वि. — पदेन उपाध्यक्ष
2. श्री अनादि मिश्र, महालेखाकार, राजस्थान — सदस्य
3. डॉ. पृथ्वीराज, शासन सचिव, वित्त (बजट) विभाग — सदस्य
4. डॉ. नीरज के.पवन, शासन सचिव, श्रम एवं रोजगार विभाग — सदस्य
5. श्रीमति मंजू राजपाल, शासन सचिव, ग्रा.वि.वि. एवं आयुक्त पं.रा.वि. — सदस्य सचिव
6. श्री पी. सी. किशन, आयुक्त, नरेगा — सदस्य
7. श्री ओ. पी. बुनकर, निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग — सदस्य
8. श्री रामावतार शर्मा, निदेशक, SSAAT — सदस्य

निम्नलिखित अन्य अधिकारीगण भी विडियो कॉन्फ्रेंस में उपस्थित रहे :–

1. श्री रक्षपाल सिंह, लेखाधिकारी एवं कार्यालयाध्यक्ष
2. श्री विजय सिंह, प्रोग्रामर
3. श्री दिनेश कुमार अग्रवाल, सहायक लेखाधिकारी–I

बैठक के प्रारंभ में श्रीमती मंजू राजपाल, शासन सचिव, ग्रामीण विकास पदेन सदस्य सचिव, शासी निकाय द्वारा सोसायटी के गठन एवं इसके उद्देश्यों, कार्यक्षेत्र आदि बाबत विधिक प्रावधान एवं भारत सरकार के दिशा निर्देशों और अब तक सम्पादित कार्यों की विस्तृत जानकारी से अवगत कराया गया। तत्पश्चात बैठक में विचारणीय बिन्दुओं पर गहन विचार विमर्श कर सोसायटी के विभिन्न आदेशों का अनुमोदन, यथोचित दिशा निर्देशन किया गया और निम्नानुसार निर्णय लिये गये :–

विचारणीय बिन्दु संख्या 2.1

शासी निकाय की प्रथम बैठक दिनांक 26.11.2019 की कार्यवाही विवरण की पुष्टि :–

सोसायटी की प्रथम बैठक दिनांक 26.11.2019 की कार्यवाही विवरण के अवलोकन एवं विचार विमर्श उपरांत शासी निकाय द्वारा इसकी पुष्टि की गई।

विचारणीय बिन्दु संख्या 2.2

शासी निकाय की प्रथम बैठक दिनांक 26.11.2019 के निर्णयों की क्रियान्विति रिपोर्ट (Action Taken Report-ATR) का अवलोकन।

सदस्य सचिव द्वारा प्रथम बैठक में लिये गये सभी 10 निर्णयों की अनुपालना का अवलोकन करवाया गया एवं की गई कार्यवाही बाबत विस्तृत जानकारी प्रस्तुत की गई। सभी निर्णयों की क्रियान्विति पर संतोष व्यक्त करते हुए अनुमोदन किया गया।

471

निर्णय संख्या 2.1

प्रथम बैठक के निर्णय संख्या 1.5 के अनुसार निर्देशित किया गया है कि जिला/ब्लॉक/ग्राम संसाधन व्यक्ति द्वारा सामाजिक अंकेक्षण कार्य उनके निवास वाले जिले/ब्लॉक/ग्राम पंचायत में सम्पादित नहीं किया जावेगा।

जिलो में आ रही व्यावहारिक समस्याओं, ब्लॉक/ग्राम संशाधन व्यक्तियों को यात्रा भत्ता देय नहीं होने तथा अल्प मानदेय भुगतान के मध्यनजर गहन विचार विमर्श उपरांत उपरोक्त निर्णय में संशोधन किया गया कि जिला/ब्लॉक/ग्राम संसाधन व्यक्तियों द्वारा अपने निवास की ग्राम पंचायत में सामाजिक अंकेक्षण कार्य सम्पादित नहीं किया जावेगा।

(कार्यवाही SSAAT द्वारा)

निर्णय संख्या 2.2

संसाधन व्यक्तियों के चयन, प्रशिक्षण एवं उनके कार्य सम्पादन बाबत विस्तृत विचार विमर्श उपरांत **निर्णय किया गया कि सभी जिला/ब्लॉक/ग्राम संसाधन व्यक्तियों का सुव्यवस्थित प्रशिक्षण करवाया जाना चाहिए ताकि सामाजिक अंकेक्षण कार्य अच्छे प्रकार से एवं समरूपता से सम्पादित हो सके।**

(कार्यवाही SSAAT द्वारा)

विचारणीय बिन्दु संख्या 2.3

समवर्ती सामाजिक अंकेक्षण (Concurrent Social Audit) कराये जाने पर विचार।

कॉविड–19 महामारी की परिस्थितियों में ग्रामसभा आयोजन संभव नहीं होने के कारण भारत सरकार के निर्देशानुसार नियमित सामाजिक अंकेक्षण (Regular Social Audit) के स्थान पर महात्मा गाँधी नरेगा योजना के प्रावधानों के अन्तर्गत माननीय मुख्यमंत्री महोदय, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग द्वारा प्राप्त अनुमोदन की पालना में समवर्ती सामाजिक अंकेक्षण (Concurrent Social Audit) कराये जाने बाबत दिशा निर्देश दिनांक 09.12.2020 द्वारा जारी किये जा चुके हैं। माह दिसम्बर, 2020 एवं जनवरी, 2021 का समवर्ती सामाजिक अंकेक्षण कलैण्डर भी निदेशक, SSAAT द्वारा जारी किया जा चुका है। माह दिसम्बर, 2020 में 3035 ग्राम पंचायतों और जनवरी, 2021 में 11316 ग्राम पंचायतों का कलैण्डर जारी किया गया है परन्तु अभी तक दिसम्बर, 2020 माह में केवल 143 ग्राम पंचायतों के अंकेक्षण सम्पादित होने की ही सूचना प्राप्त हुई है। अतः उपरोक्तानुसार समवर्ती सामाजिक अंकेक्षण की माह दिसम्बर, 20 की प्रगति पर विचार विमर्श उपरांत निदेशक, SSAAT को **ये निर्देश प्रदान किये गये कि आगामी गणतंत्र दिवस 26 जनवरी, 2021 तक समस्त पुरानी ग्राम पंचायतों का समवर्ती सामाजिक अंकेक्षण सम्पन्न हो जावे।**

इस बाबत निदेशक, सामाजिक अंकेक्षण के आग्रह पर श्रीमान अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रा.वि. एवं पं.रा.वि. और शासन सचिव, ग्रा.वि.वि द्वारा आवश्यकतानुसार विडियो कॉन्फ्रेंस कर सभी अधिकारिरों को निर्देशित करने की कार्य योजना नियत की गई।

शासी निकाय में विचार विमर्श के दौरान यह सुझाव प्राप्त हुआ कि समवर्ती सामाजिक अंकेक्षण हेतु उपयुक्त चैक लिस्ट आदि बनवाई जाकर अंकेक्षण की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। इस पर निदेशक, सामाजिक अंकेक्षण द्वारा अवगत कराया गया कि महात्मा गाँधी नरेगा योजना के नियमित सामाजिक अंकेक्षण हेतु भारत सरकार के NREGASOFT MIS Portal पर उपयुक्त

472

व्यवस्था है परन्तु भारत सरकार की ओर से समवर्ती सामाजिक अंकेक्षण के लिए अभी ऐसे प्रपत्र निर्धारित नहीं हैं। अतः सोसायटी में सक्षम अनुमोदन अनुसार राज्य में समरूप प्रपत्र (Uniform formats) निर्धारित कर सभी कार्यालयों एवं संसाधन व्यक्तियों के लिए जारी कर दिये गये है। समवर्ती सामाजिक अंकेक्षण रिपोर्ट्स प्राप्त करने हेतु गूगलब्रोडशीट के माध्यम से लिंक उपलब्ध कराकर MIS Reporting की व्यवस्था की गई है।

इसी प्रकार राज्य में सामाजिक अंकेक्षण कार्य करने वाले समस्त ब्लॉक/ग्राम संसाधन व्यक्तियों (Block/Village Resource Persons) का पंजीयन (Registration) किये जाने हेतु गूगल ब्रॉडशीट (google Broadsheet) के माध्यम से एक लिंक जारी कर ऑनलाईन (Online) आवेदन की व्यवस्था की गयी है जिसमें व्यक्तिगत सूचनाऐं तथा बैंक खाते का विवरण प्राप्त किया गया है। यह व्यवस्था की गयी है कि ब्लॉक/ग्राम संसाधन व्यक्तियों (BRPs/VRPs) को मानदेय भुगतान सीधे उनके बैंक खाते में जमा करवाया जावे।

निर्णय संख्या –2.3

भारत सरकार के निर्देशानुसार वर्तमान में समवर्ती सामाजिक अंकेक्षण (Concurrent Social Audit) केवल महात्मा गॉधी नरेगा योजना का ही सम्पादित करवाया जा रहा है परन्तु श्रीमान अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रा.वि. एवं पं.रा.वि. के प्रस्तावानुसार यह निर्णय किया गया कि स्वच्छ भारत मिशन–ग्रामीण (SBM-G) के तहत हुए कार्यों/शोचालय निर्माण का भी तृतीय पक्ष भौतिक सत्यापन (Third party physical verification) समवर्ती सामाजिक अंकेक्षण करवाया जावे। निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन–ग्रामीण योजना के प्रावधानों के अन्तर्गत सामाजिक अंकेक्षण कार्य पेटे नियमानुसार राशि सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी को उपलब्ध कराई जावेगी।

निर्णय संख्या –2.4

श्रीमान अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रा.वि.वि. एवं पं.रा.वि. द्वारा अवगत कराया गया कि राजीविका के अन्तर्गत बने हुए स्वयं सहायता समूहों (SHGs) के सदस्यों को समवर्ती सामाजिक अंकेक्षण (Concurrent Social Audit) कार्य में लगाये जाने का निर्णय सोसायटी में लिया गया है। इस पर विचार विमर्श उपरांत शासी निकाय द्वारा अनुमोदन किया गया।

(कार्यवाही SSAAT, SBM द्वारा)

<u>विचारणीय बिन्दु संख्या 2.4</u>

<u>सोसायटी की कार्यविधि नियमावली (Rules of Busines) का अनुमोदन।</u>

सोसायटी की प्रथम बैठक दिनांक 26.11.2019 के निर्णय संख्या 1.1 की पालना में कार्यकारी समिति (EC) एवं श्रीमान मुख्य सचिव सह अध्यक्ष, शासी निकाय (GB) द्वारा अनुमोदित सोसायटी की कार्यविधि नियमावली (Rules of Business), जो दिनांक 04.03.2020 को जारी की जा चुकी है, का शासी निकाय द्वारा विचार विमर्श उपरांत अनुमोदन किया गया।

<u>विचारणीय बिन्दु संख्या 2.5</u>

<u>शक्तियों के प्रत्यायोजन (Delegation of Powers) बाबत अनुसूची (Schedule Of Powers-SOP) के आदेशों का अनुमोदन।</u>

सोसायटी की प्रथम बैठक दिनांक 26.11.2019 के निर्णय संख्या 1.2 की पालना में कार्यकारी समिति को प्रदत्त अधिकारों के तहत निर्मित एवं श्रीमान मुख्य सचिव सह अध्यक्ष, शासी निकाय

द्वारा अनुमोदित सोसायटी की शक्तियों के प्रत्यायोजन (Delegation of Powers) संबंधी शक्तियों की अनुसूची (Schedule Of Powers-SOP), जो दिनांक 04.03.2020 को जारी की जा चुकी है, इसके पश्चात कार्यकारी समिति की द्वितीय बैठक के निर्णय संख्या 2.6 की पालना में जारी आदेश दिनांक 14.07.2020 और कार्यकारी समिति तृतीय बैठक दिनांक 25.11.2020 के निर्णय संख्या 3.5 में हुए समस्त निर्णयों एवं संशोधनों पर शासी निकाय द्वारा विस्तृत विचार विमर्श उपरांत अनुमोदन किया गया।

<u>विचारणीय बिन्दु संख्या 2.6</u>

<u>सामाजिक विकास विशेषज्ञ एवं अन्य संसाधन व्यक्तियों के चयन सम्बन्धी विनियम 2020 का अनुमोदन।</u>

सोसायटी की प्रथम बैठक दिनांक 26.11.2019 के निर्णय संख्या 1.5 की पालना में कार्यकारी समिति द्वारा अपनी प्रथम बैठक दिनांक 24.02.2020 में निर्मित एवं श्रीमान मुख्य सचिव सह अध्यक्ष, शासी निकाय द्वारा अनुमोदित सोसायटी के सामाजिक विकास विशेषज्ञ एवं अन्य संसाधन व्यक्तियों के चयन सम्बन्धी विनियम, 2020, जो दिनांक 12.03.2020 को जारी किये जा चुके हैं एवं इसके पश्चात कार्यकारी समिति की द्वितीय बैठक दिनांक 29.07.2020 के निर्णय संख्या 2.8 की पालना और शासी निकाय के परिचालन प्रस्ताव संख्या 1/2020 द्वारा प्राप्त अनुमोदन की पालना में जारी आदेश दिनांक 27.11.2020 पर शासी निकाय द्वारा विस्तृत विचार विमर्श उपरांत उपरोक्त विनियम, 2020 का अनुमोदन किया गया।

<u>विचारणीय बिन्दु संख्या 2.7</u>

<u>सोसायटी की वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन वर्ष 2019–20 का अनुमोदन।</u>

सोसायटी के नियमों एवं विनियमों के बिन्दु संख्या 21 एवं कार्यविधि नियमावली की बिन्दु संख्या 7 की पालना में निदेशक, सोसायटी की ओर से तैयार की गई सोसायटी की वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन वर्ष 2019–20 का अवलोकन किया गया। इसका अनुमोदन श्रीमान अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रा.वि.एवं पं.रा.वि. सह अध्यक्ष, कार्यकारी समिति और श्रीमान मुख्य सचिव सह अध्यक्ष, शासी निकाय द्वारा किया जा चुका है। शासी निकाय द्वारा विचार विमर्श उपरांत वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन वर्ष 2019–20 का अनुमोदन किया गया।

<u>विचारणीय बिन्दु संख्या 2.8</u>

<u>सोसायटी का वर्ष 2020–21 के अनुमोदित बजट का अवलोकन।</u>

शासी निकाय द्वारा सोसायटी के कार्य संचालन हेतु कार्यकारी समिति (EC) को अधिकृत किया गया है। अतः कार्यकारी समिति द्वारा अनुमोदित सोसायटी के वर्ष 2020–21 के बजट का अवलोकन कर विचार विमर्श उपरांत संतोष व्यक्त किया गया।

<u>विचारणीय बिन्दु संख्या 2.9</u>

<u>सोसायटी के वर्ष 2019–20 एवं 2020–21 के लेखों का अंकेक्षण एक साथ कराए जाने बाबत कार्यकारी समिति के निर्णय का अनुमोदन।</u>

पूर्व में निदेशालय सामाजिक अंकेक्षण संबंधी वेतन भत्तों सहित समस्त व्यय आयुक्त, नरेगा द्वारा ही वहन किये जा रहे थे और सोसायटी का गठन माह सितम्बर,2019 में होने एवं वर्ष 2019–20 में सोसायटी द्वारा केवल 51,318 रूपये का व्यय होने के मध्यनजर कार्यकारी समिति के

निर्णयानुसार सोसायटी के वर्ष 2019–20 एवं 2020–21 के लेखों का अंकेक्षण एक साथ कराए जाने पर विचार विमर्श उपरांत इसका अनुमोदन किया गया। 474

निर्णय संख्या 2.5

सोसायटी के अंकेक्षण हेतु चार्टर्ड अकाउन्टेंट (CA) की नियुक्ति के संबंध में श्री अनादि मिश्र महालेखाकार द्वारा सुझाव दिया गया कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) द्वारा एम्पेनल्ड चार्टर्ड अकाउन्टेंट (CA) की सेवाऐं लिया जाना अधिक उचित होगा। इस पर विचार विमर्श उपरांत निर्णय किया गया कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) में एम्पेनल्ड चार्टर्ड अकाउन्टेंट में से किसी भी चार्टर्ड अकाउन्टेंट से कार्यकारी समिति, सोसायटी का अंकेक्षण कराने हेतु सक्षम होगी।

(कार्यवाही SSAAT द्वारा)

विचारणीय बिन्दु संख्या 2.10

प्रधान महालेखाकार (Principal A.G.) को कार्यकारी समिति की सदस्यता से मुक्त करने बाबत।

प्रधान महालेखाकार (Principal A.G.) को कार्यकारी समिति की सदस्यता से मुक्त करने बाबत शासी निकाय (GB) के निर्णय संख्या 1.10 की पालना में माननीय मुख्यमंत्री महोदय के अनुमोदन अनुसार जारी आदेश कमांक 7322 दिनांक 2.3.2020 का गजट नोटिफिकेशन दिनांक 15.10. 2020 को हो चुका है। प्रकरण का अवलोकन कर अनुमोदन किया गया।

विचारणीय बिन्दु संख्या 2.11

सोसायटी में सामाजिक विकास विशेषज्ञ एवं अन्य संसाधन व्यक्तियों के चयन कार्यवाही हेतु योग्य एजेंसी/संवेदक की सेवायें लेने बाबत।

सोसायटी में सामाजिक विकास विशेषज्ञ एवं अन्य संसाधन व्यक्तियों के चयन विनियम, 2020 के अनुसार विकास विशेषज्ञ एवं विभिन्न संसाधन व्यक्तियों के चयन संबंधी कार्यवाही करने हेतु सोसायटी में उपयुक्त मानव संसाधन उपलब्ध नहीं होने के कारण कार्यकारी समिति के निर्णयों के अनुसार एक योग्य एजेंसी/संवेदक की सेवायें ली जानी हैं। इस बाबत RTPP Act, 2012 एवं RTPP Rules, 2013 के प्रावधानों के अनुसार खुली बोली के माध्यम से कार्यवाही संपादित किये जाने की प्रगति से शासी निकाय को अवगत कराया गया। शासी निकाय द्वारा कार्यवाही की जानकारी प्राप्त कर यथाशीघ्र आवश्यक मानव संसाधन सोसायटी में प्रचलित नियमों के अनुसार लिये जाने बाबत निर्देश प्रदान किये गये।

विचारणीय बिन्दु संख्या 2.12

सामाजिक अंकेक्षण रिपोर्ट्स की स्थिति राज्य विधानसभा में प्रस्तुत करने के निर्णयार्थ।

निर्णय संख्या 2.6

भारत सरकार से प्राप्त सामाजिक अंकेक्षण रिपोर्ट्स एवं उनकी पालना की स्थिति राज्य विधानसभा में प्रस्तुत करने बाबत निर्देशों पर विस्तृत विचार विमर्श किया गया और यह निर्णय किया गया कि उपरोक्त निर्देशों की पालना में सामाजिक अंकेक्षण रिपोर्ट्स् मय पालना का सारांश राज्य विधान सभा में प्रस्तुत किया जावे।

(कार्यवाही SSAAT द्वारा)

विचारणीय बिन्दु संख्या 2.13

डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन योजना का सामाजिक अंकेक्षण प्रारंभ करने बाबत।

निर्णय संख्या 2.7

डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन योजना का सामाजिक अंकेक्षण प्रारंभ करने बाबत भारत सरकार के पत्रांक M-12016/01/2020/रूर्बन दिनांक 02.09.2020 द्वारा ड्राफ्ट गाईडलाईन्स प्राप्त हुई हैं जिस पर विचार विमर्श उपरांत शासी निकाय द्वारा इस योजना का भी सामाजिक अंकेक्षण यथा समय भारत सरकार से प्राप्त होने वाले दिशा निर्देशों के अनुसार किये जाने का निर्णय किया गया।

बैठक में सभी उपस्थित सदस्यों, सचिवगण से भी अपने विचार व्यक्त करते हुए श्रीमान मुख्य सचिव महोदय द्वारा कहा गया जिस पर सर्व प्रथम महालेखाकार श्री अनादि मिश्र द्वारा सोसायटी में आज लिये गये निर्णयों पर सहमति जतायी और अवगत कराया गया कि महालेखाकार अंकेक्षण दलों द्वारा स्वतंत्र पर्यवेक्षक (Independent Observer) के रूप में माह दिसम्बर,2020 में जयपुर जिले में कुछ ग्राम पंयाचतों के समवर्ती सामाजिक अंकेक्षण कार्य में भाग लिया जावेगा तथा इस वित्तीय वर्ष के अन्त तक जो भी अनुभव रहेंगे उनकी रिपोर्ट सोसायटी को माह अप्रेल,2021 में प्रेषित कर दी जावेगी।

इसी प्रकार शासन सचिव, वित्त (बजट) एवं आयुक्त मनरेगा द्वारा भी अपने विचार व्यक्त किये गये और समवर्ती सामाजिक अंकेक्षण कार्य को अच्छे तरीके से कियान्वित किये जाने बाबत लिये गये निर्णयों पर सहमति जतायी गयी।

अंत में धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

(पी. सी. किशन)
शासन सचिव, ग्रा.वि.
सह सदस्य सचिव (GB)

कमांक एफ.61(2)SSAAT/GB Meeting/2019/ 100-112 दिनांक 11-01-2021

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. वरिष्ठ शासन उप सचिव, श्रीमान मुख्य सचिव महोदय सह अध्यक्ष शासी निकाय सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी (SSAAT) राजस्थान
2. निजी सचिव, श्रीमान अतिरिक्त मुख्य सचिव ,ग्रा.वि. एव पं.रा. विभाग सह--उपाध्यक्ष, शासी निकाय सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी (SSAAT) राजस्थान।
3. निजी सचिव, प्रधान महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, वित्त (बजट) विभाग।
5. निजी सचिव, शासन सचिव, श्रम एवं रोजगार विभाग।
6. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त पंचायतीराज विभाग।
7. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रा.वि.वि सह सदस्य सचिव. शासी निकाय, SSAAT राजस्थान, जयपुर।
8. निजी सचिव, आयुक्त, मनरेगा, राजस्थान।
9. निजी सचिव, निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर।
10. निजी सचिव निदेशक, सामाजिक अंकेक्षण, (SSAAT) जयपुर।
11. लेखाधिकारी एवं कार्यालयाध्यक्ष SSAAT
12. सहायक लेखाधिकारी–प्रथम/द्वितीय (समस्त) प्रोग्रामर, SSAAT
13. रक्षित पत्रावली

(रामावतार शर्मा)
निदेशक, SSAAT